नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017

समाहरणालय, मधेपुरा
(ज़िला पंचायत कार्यालय)

आदेश

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-1557, दिनांक-12.04.2017 से प्राप्त निदेश के आलोक में नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के निमित्त दिनांक-19.04.2017 से 27.04.2017 तक नामांकन प्राप्त करने की तिथि है। मतदान की तिथि 21.05.2017 तथा मतगणना की तिथि 23.05.2017 निर्धारित हैं। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के सफल संचालन हेतु जिला स्तर पर निम्नप्रकार कोषांगों का गठन किया जाता है तथा विभिन्न कोषांगों के लिए नोडल पदाधिकारियों / अन्य पदाधिकारियों एवं कोषांग के वरीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है।

01-कार्मिक प्रबंधन कोषांग

02-ई0वी0एम0 प्रबंधन कोषांग

03-बज्रगृह-सह-मत पत्र (BALLOT PAPER) विच्छेदीकरण एवं मतपत्र वितरण कोषांग

04-वाहन प्रबंधन कोषांग

05-सामग्री प्रबंधन कोषांग

06-कार्मिक तथा ई0वी0एम0 प्रशिक्षण एवं प्रबंधन कोषांग

07-विधि-व्यवस्था प्रबंधन-सह-सशस्त्र/ पुलिस बल समन्वय कोषांग

08-आदर्श आचार संहिता प्रबंधब एवं अनुपालन-एम0सी0सी0 कोषांग

09-मीडिया /Media Certification & Monitoring Committee तथा विडियोग्राफी कोषांग

10-निर्वाचन व्यय लेखा अनुश्रवण कोषांग

11-जिला संचार योजना (District Communication Plan) एवं (District Election Plan Preperation) प्रबंधन कोषांग

12-Vulnerability Mapping & Critical मतदान केन्द्र /BMF (Basic Minimum Facility) कोषांग

13-जिला हेल्प लाईन-सह-नियंत्रण कक्ष कोषांग

14-कार्मिक कल्याण प्रबंधन कोषांग

15-प्रेक्षक प्रबंधन कोषांग

16-नगरपालिका निर्वाचन कोषांग,

कोषांगों के नोडल पदाधिकारी, कोषांग में प्रतिनियुक्त अन्य पदाधिकारी एवं कोषांग के वरीय पदाधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में ससमय कार्यो का त्वरित निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे। नगरपालिका आम निर्वाचन, 2017 के सफल संचालन हेतु यह आवश्यक है कि सभी कोषांग एक दूसरे के साथ एकबद्ध होकर समन्वय स्थापित करते हुए निष्पादन करें। कोषांग के दायित्वों का विवरणी आगे के पृष्ठ पर गठित कोषांगवार दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के निदेशों एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा समय-समय पर दिये जाने वाले निदेशों को ध्यान में रखकर कोषांग के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। नोडल पदाधिकारी, अविलम्ब कोषांग के अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक कर कोषांग के दायित्वों से अवगत करायेंगे। कोषांग में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मियों की आवश्यकता का आकलन कर कोषांग के वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा के साथ कोषांग में प्रतिनियुक्ति हेतु नोडल पदाधिकारी, कार्मिक प्रबंधन कोषांग-सह-जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा को अनुरोध पत्र देंगे। निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक सभी कोषांग अवकाश के दिनों में भी विधिवत् कार्यरत रहेंगे।

## 1. कार्मिक प्रबंधन कोषांग

कार्मिक प्रबंधन कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा को नामित किया जाता है। जिनका मोबाईल नम्बर 9473191354 है।

| कोषांग के नोडल पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | कोषांग के अन्य पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम | कोषांग से संबंद्ध लिपिक एवं अन्य कर्मियों का नाम एवं पदनाम |
|---|---|---|
| • श्री कृष्ण मोहन प्रसाद, जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, मधेपुरा। मो0नं0- 9472942901 | ●श्री शिवशंकर राय, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी(स्थापना) मो0नं0- 8544411539<br>● श्री सुनील कुमार, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा, मो0नं0- 9470046738 | ● श्री नरेन्द्र कुमार, प्रधान सहायक, जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा<br>● श्री शैलेन्द्र कुमार, उ0व0लि0, जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा<br>● श्री अनिल कुमार, उ0व0लि0, जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा<br>● श्री रजनीश कुमार, उ0व0लि0, समाहरणालय मधेपुरा<br>● मो0 एकरारूल हसन, नि0व0लि0, जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा<br>● श्री शत्रुघ्न प्रसाद साह, कार्यालय परिचारी, जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा<br>● श्री वासीद अली, कार्यालय परिचारी, जिला स्थापना शाखा, मधेपुरा |

**कार्मिक प्रबंधन कोषांग का कार्यालय :– समाहर्त्ता न्यायालय कक्ष, मधेपुरा।**

**कार्मिक प्रबंधन कोषांग का दायित्व :–**

01. कार्मिक कोषांग का कार्य मतदान दल, गश्ती दल एवं मतगणना दल का गठन, मतगणना सहायक, पर्यवेक्षक, सेक्टर दंडाधिकारी एवं जोनल दंडाधिकारी आदि की नियुक्ति करना तथा आवश्यकतानुसार निर्वाचन कार्य के लिए अन्य पदाधिकारी/कर्मी की सेवा उपलब्ध कराना।
02. सभी कार्यालयों से पदाधिकारियों एवं कर्मियों की सूची तुरंत प्राप्त करना तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र में राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार पटना से प्राप्त निदेश के आलोक में नियुक्ति पत्र तैयार कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी (न0पा0) से अनुमोदन प्राप्त करना। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा नियुक्ति पत्र तैयार करने हेतु उपयोग होंनेवाले कम्प्यूटर सामग्री का आकलन कर प्रस्ताव कोषांग के वरीय पदाधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। वे आवश्यकता पड़ने पर कम्प्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भी प्रस्तुत करेंगे।
03. नियुक्ति पत्र का ससमय तामिला सुनिश्चित करना एवं तामिला की प्रगति की निरंतर समीक्षा कर प्रतिदिन संध्या में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(न0पा0) को प्रगति से अवगत कराना। इस संबंध में क्षेत्रीय पदाधिकारियों से प्रत्येक दिन सम्पर्क बनाना तथा विशेष दूत भेजकर प्रतिवेदन प्राप्त करना।
04. सभी दल के गठन करने से पूर्व उपलब्ध कर्मी की नियुक्ति के संबंध में अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त करना।
05. अन्य कोषांग से प्राप्त अधियाचना के आलोक में अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त कर पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपलब्ध कराना।
06. 10 प्रतिशत सुरक्षित कर्मियों की व्यवस्था करना।
07. अनुपस्थित कर्मियों के विरुद्ध प्रस्ताव देना तथा अनुपस्थित कर्मियों के स्थान पर अद्योहस्ताक्षरी से अनुमोदन के पश्चात् अन्य कर्मियों को प्रतिनियुक्त करना।
08. मतदान दल हेतु रूट चार्ट तैयार करना।
09. मतदान दल का योगदान एवं प्रस्थान सुनिश्चित कराना।
10. पुर्नमतदान हेतु मतदान दल का गठन एवं अन्य प्रक्रियाओं को सुचारूरूपेण सुनिश्चित करना।

11. इस कोषांग से संबंधित अन्य कार्यो को पूरा करना।
12. राज्य निर्वाचन आयोग एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका) द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यो का निष्पादन।

## 2-ई0वी0एम0 प्रबंधन कोषांग

ई0वी0एम0 प्रबंधन कोषांग के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के रूप में उप विकास आयुक्त, मधेपुरा को नामित किया जाता है। जिनका मोबाईल नंबर 9431818377 है।

| कोषांग के नोडल पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | कोषांग के अन्य पदाधिकारियों का नाम एवं पदनाम | कोषांग से संबंद्ध लिपिक एवं अन्य कर्मियों का नाम एवं पदनाम |
|---|---|---|
| ● श्री राजेश कुमार, जिलायोजना पदाधिकारी, मधेपुरा, मो0 सं0- 9430251344 | ● श्री रामप्रवेश प्रसाद, कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा, मो0 सं0- 8987311578<br>● श्री कमलेश प्रसाद, सहायक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, मधेपुरा, मो0 सं0- 9431642401<br>● श्री रुपेश कुमार, सहायक अभियंता, लोक स्वा0 अभि0 संगठन, कार्य प्रमंडल मधेपुरा | ● मो0 अरशद जाफरी, प्रधान लिपिक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, मधेपुरा<br>●श्री सूमित आनन्द, उ0व0लि0, जिला योजना कार्यालय, मधेपुरा<br>●श्री संजय कुमार सिंह, नि0व0लि0, जिला अभिलेखागार, मधेपुरा<br>● श्री उमेश कुमार, नि0व0 लिपिक, जिला विकास शाखा, मधेपुरा<br>● श्री शौकत अली, कार्या0 परि0, जिला विकास शाखा, मधेपुरा |

ई0वी0एम0 प्रबंधन कोषांग का कार्यालय :- नगर परिषद्, मधेपुरा।

इस कोषांग के निम्नलिखित दायित्व होंगे :-

1. राज्य निर्वाचन आयोग से ई0वी0एम0 प्राप्त करना।
2. ई0वी0एम0 संख्या का संधारण पंजी में करना।
3. ई0वी0एम0 की प्रथम स्तरीय जाँच स्थानीय इंजीनियर/ जिला स्तर पर उपलब्ध जानकार व्यक्ति से कराना एवं ई0वी0एम0 की तैयारी राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना द्वारा दिये गये निदेश के अनुरुप करना। कोषांग के पदाधिकारी का ई0वी0एम0 की तैयारी में पूरी सतर्कता बरतना एवं समय-समय पर ई0वी0एम0 की जाँच करते रहना तथा जो कमी हो उसकी जानकारी जिला निर्वाचन पदाधिकारी(न0पा0) को देना। ई0वी0एम0 के खराब होने तथा किसी पार्ट-पूर्जा की आवश्यकता होने की सूचना तुरंत देना।
4. ई0वी0एम0 में प्रयुक्त होने वाले मतपत्र को लगाकर सीलिंग की व्यवस्था करना तथा ई0वी0एम0 सीलिंग के उपरान्त प्रति मतदान केन्द्र की दर से श्लाका पेपर सील की पैकेटिंग करना। उसका अभिलेख विधिवत संधारित करना। श्लाका का लेखा-जोखा रखना।
5. ई0वी0एम रैण्डमाइजेशन के पश्चात् मतदान केन्द्र वार उपलब्ध कराना एवं उसका अभिलेख विधिवत संधारित करना।
6. गश्ती-सह-ई0वी0एम0 संग्रहण दण्डाधिकारी को ई0वी0एम0 एवं अन्यान्य सामग्री संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के माध्यम से ससमय उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. मतगणना के पश्चात् ई0वी0एम सिलिंग भी सुनिश्चित करना।